रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 19] नई दिल्ली, बुधवार, मई 27, 1987/ज्येष्ठ 6, 1909
No. 19] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 27, 1987/JYAISTHA 6, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड

नई दिल्ली, 27 मई, 1987

अधिसूचना

सं. 1(3)/बी आई एफ आर (बी सी)/87 :—औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड, रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 (1986 का 1) की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित लोक वित्तीय संस्थाओं को, अपने प्रचालन अभिकरणों के रूप में विनिर्दिष्ट करता है, अर्थात् :—

(1) भारतीय औद्योगिक प्रत्यय और विनिधान निगम लिमिटेड ।

(2) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ।

(3) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ।

(4) भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक ।

एस. सी. त्रिपाठी, सचिव

BOARD FOR INDUSTRIAL AND FINANCIAL RECONSTRUCTION

New Delhi, the 27th May, 1987

NOTIFICATION

No. 1(3)/BIFR(BC)/87.—In exercise of the powers conferred by clause (i) of sub-section (1) of section 3 of the Sick Industrial Companies (Special Provisions) Act, 1985 (1 of 1986), the Board for Industrial and Financial Reconstruction hereby specifies the following public financial institutions, as its operating agencies, namely :—

(1) The Industrial Credit and Investment Corporation of India Limited.

(2) The Industrial Finance Corporation of India.

(3) The Industrial Development Bank of India.

(4) The Industrial Reconstruction Bank of India.

S. C. TRIPATHI, Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987